तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 02/2019** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम गैनसिंह वगैरा**

13-05-2019

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद इत्तला जरिये नोटिस के अनुपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 13.04.2018 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में मैसर्स हरिओम मोटर गैराज, कमला नेहरू नगर, महालक्ष्मी स्वीट वाली गली, जोधपुर पहुचें जहां पर गैनसिंह पुत्र श्यामलाल जाति माली निवासी चौखा हाल बमुकाम गैराज का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर (15) घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणिज्यक उपयोग एवं सग्रंह किया जा रहा था। गैराज में एक वाहनों में गैस भरनें वाली मशीन तथा गैस का तोल करने के लिये एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन पायी गई। निम्न घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से वाहनों में गैस भरने के आधार पर घरेलू गैस सिलेण्डर मय वाहनों में गैस भरने वाली मशीन तथा गैस का तोल करने के लिये इलेक्ट्रोनिक तौल को जब्त किया गया तथा चुतराराम पुत्र चेनाराम, महावीर गैस सर्विस, जोधपुर को सुपुर्दगी की गई।

क्र. स.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन
1.	958758–T	HPCL	15.500	29.700	14.2
2.	856846–T	HPCL	15.500	22.900	7.4
3.	032027–T	HPCL	15.600	29.800	14.2
4.	034806–T	HPCL	15.600	29.700	14.1
5.	063995–E	HPCL	15.300	29.500	14.2
6.	863353–S	HPCL	15.500	29.700	14.2
7.	863353–S	HPCL	15.200	29.400	14.2
8.	095377–T	HPCL	15.500	29.800	14.3
9.	938698–T	HPCL	15.500	29.700	14.2
10.	480248–T	HPCL	15.500	29.700	14.2
11.	420866–S	BPCL	15.500	15.500	0
12.	992801–T	BPCL	15.300	15.300	0
13.	950356–S	BPCL	15.300	15.300	0
14.	004916–S	IOC	15.400	15.400	0
15.	938452–S	IOC	15.300	15.300	0

	इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से आज दिनांक तक नोटिस का प्रत्युतर नहीं दिया गया। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा वक्त निरीक्षण के दौरान जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के काम में लिया जा रहा था। अप्रार्थीगण से पुछने पर कोई सन्तोषजनक जबाब नहीं दिया गया, ना ही वह किसी प्राधिकृत ऑयल कम्पनी का डीलर है। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3बी, 4, 5, 6 की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 15 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये तथा वाहनों में गैस भरनें वाली मशीन तथा गैस का तोल करने के लिये एक इलेक्ट्रोनिक तौल मशीन को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।